भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2677

दिनांक 11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनएचएम के अंतर्गत चिकित्सा अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु को वित्तीय सहायता

2677. श्री आर. गिरिराजन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु में चिकित्सा अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या डॉक्टर-मरीज़ अनुपात को बेहतर बनाने के लिए चिकित्सा अधिकारियों, स्त्री रोग विशेषज्ञों, दंत-चिकित्सकों, रेडियोलॉजिस्टों, निश्चेतना विशेषज्ञों, कैंसर रोग विशेषज्ञ और नेत्र रोग विशेषज्ञ की भर्ती की कोई योजना है; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या एनएचएम के अंतर्गत सरकार की कोई विशेष भर्ती योजना है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): 'सार्वजनिक स्वास्थ्य' और 'अस्पताल' राज्य के विषय हैं, अतः स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना की योजना बनाने, उसे कार्यान्वित करने और बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को उनके संसाधनों के भीतर उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों आवश्यकताओं के आधार पर उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार, कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में पीआईपी को अनुमोदन प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, चिकित्सा अधिकारियों, स्त्री रोग विशेषज्ञों, दंत चिकित्सकों, रेडियोलॉजिस्टों, एनेस्थीसिया विशेषज्ञों और कैंसर रोग विशेषज्ञों तथा नेत्र रोग विशेषज्ञों की भर्ती सहित सभी मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत तमिलनाडु सहित सभी राज्यों को अभिनव "यू कोट, वी पे" योजना के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में विशेषज्ञों की भर्ती और उन्हें बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है, जिसके तहत विशेषज्ञ आकर्षक और लचीले वेतन पर बातचीत कर सकते हैं। यदि, आवश्यकता हो तो विशेषज्ञों को प्रति-मामला आधार पर नियुक्त करने का भी प्रावधान है।
